(113) (115)

न्यायालय राजस्व मंडल मोती महल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ..../निगरानी/...........

श्रीमती चंदा पाटनी पति श्री ललित पाटनी
निवासी – 344, ए.डी. स्कीम नं. 74–सी, जिला इंदौर (म.प्र.) ....प्रार्थी

PBR/निगरानी/इंदौर/भू-रा/2017/2306

विरूद्ध

1. राजस्व निरीक्षक कार्यालय,
   कार्यालय–राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2
   विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय
   विजय नगर क्षेत्र, कलेक्टर कार्यालय,
   मोती तबेला, इन्दौर ....प्रतिप्रार्थीगण

श्री अशोक ... अभिभाषक द्वारा ... पर प्रस्तुत। ... 2017

आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 32 अंतर्गत

आवेदक की ओर से अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, वृत्त–2 विजय नगर क्षेत्र तहसील इन्दौर जिला इन्दौर द्वारा दिनांक 10.07.2017 तथा तदुपरांत दिनांक 17.07.2017 को मौखिक रूप से बेदखल किये जाने बाबद् सूचना दिये जाने से पीड़ित एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1. यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि पर उसके कर्मचारियों द्वारा कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर अपनी एवं अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं।

2. यह कि, प्रार्थी विधिवत् रूप से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15/3/07......... से सदर भूमि पर स्वामी नाते काबिज होकर उस पर उसका लगातार, शांतिपूर्वक, निर्बाध कब्जा चला आ रहा है।

3. यह कि, सदर भूमि पर प्रार्थी का एक मकान भी बना हुआ है जिस पर उसके कर्मचारी निवासरत हैं।

4. यह कि, सदर भूमि आवासीय उपयोग की भूमि है।

5. यह कि, सदर भूमि के संबंध में तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं. 3/अ–70/16–17 में किसी सुरेश बंसल द्वारा इस आवेदक को बिना कोई सूचना पत्र प्रेषित किए एवं इस आवेदक को बिना कोई सूचना पत्र प्राप्ति के बाले–बाले ही तथाकथित कर्मचारियों से संगनमत होकर फर्जी एवं अवैध एवं अवैधानिक सीमांकन करवा लिया गया। जिसके आधार पर एक असत्य आवेदन धारा 250 अंतर्गत प्रस्तुत किया जाकर अवैध एवं अवैधानिक आदेश दिनांक 31.05.2017 इस प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 2306

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/7/17	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 विजयनगर क्षेत्र जिला इंदौर द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 10–7–17 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया । उक्त सूचना पत्र में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदिका को कब्जा सम्बन्धी कार्यवाही में उपस्थित रहने की सूचना दी गई है, जो कि उचित कार्यवाही है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	